भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 405
दिनांक 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

हाइब्रिड गांजे की तस्करी में वृद्धि

+405. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक प्रभावी हाइब्रिड गांजे की तस्करी और वितरण में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इस प्रकार की तस्करी से सम्बन्धित जब्ती, गिरफ्तारी और प्रयुक्त प्रमुख मार्गों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की गतिविधियों में अंतरराष्ट्रीय कोरियर नेटवर्क और डार्क वेब प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या हाल की रिपोर्टों के अनुसार केरल राज्य हाइब्रिड गांजे की तस्करी का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है; और

(ङ) क्या इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों के बीच प्रवर्तन और समन्वय को सशक्त करने तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): अधिक-प्रभाव (हाई पोटेंसी) वाले हाइब्रिड कैनाबिस (हाइड्रोपोनिक गांजा) की तस्करी और बिक्री के लिए मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई जब्ती और गिरफ्तारियों का ब्योरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। मुख्य रूप से, हवाई मार्गों को ऐसी तस्करी के प्रमुख मार्गों के रूप में चिह्नित गया है। ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जहां थाईलैंड से हाइड्रोपोनिक गांजा वाले अंतर्राष्ट्रीय कूरियर और पार्सल बुक किए गए हैं और जिन्हें बाद में भारत में मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा जब्त किया गया है। वर्ष 2025 में, केरल के आबकारी विभाग द्वारा हाइड्रोपोनिक गांजा की जब्ती के 02 मामले सूचित किए गए हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 405, दिनांक 22.07.2025

(ङ): सरकार ने थाईलैंड के अधिकारियों के साथ 27 से 29 मई, 2025 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित द्विपक्षीय बैठक में भी इस मामले को उठाया है क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली (मॉड्स ऑपरेंडी) में थाईलैंड से आने वाली उड़ानों में यात्रा करने वाले मानव वाहकों की संलिप्तता के साथ-साथ कूरियर पार्सल के उपयोग का भी पता चला है। इसके अलावा, सरकार ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि केंद्र और राज्य की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए चार-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र की स्थापना, प्रत्येक राज्य में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन, बड़ी जब्ती के मामलों की निगरानी के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त समन्वय समिति का गठन, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाने हेतु नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, राज्य एएनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय, अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) का क्षमता संवर्धन, मादक पदार्थों से संबंधित जानकारी/शिकायत आदि के लिए मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 की शुरुआत आदि।

****

लोक सभा अता.प्र.सं. 405, दिनांक 22.07.2025
अनुलग्नक-I

वर्ष 2023-2025 (मई तक) की अवधि के दौरान अधिक-प्रभाव (हाई पोटेंसी) वाले हाइब्रिड गांजा की तस्करी और बिक्री के लिए मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई जब्ती और गिरफ्तारियों का ब्योरा

राज्य/वर्ष	**2023**			**2024**			**2025** (मई तक)		
	मात्रा (किग्रा. में)	**मामला**	**गिरफ्तारी**	**मात्रा (किग्रा. में)**	**मामला**	**गिरफ्तारी**	**मात्रा (किग्रा. में)**	**मामला**	**गिरफ्तारी**
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0.887	1	0
असम	0	0	0	10	1	1	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0.17	1	3
गुजरात	5.957	18	0	22.326	7	2	85	7	8
कर्नाटक	8.4	8	7	56	15	5	158	26	46
केरल	0	0	0	0	0	0	3	2	5
महाराष्ट्र	19.475	17	1	72.322	23	9	46	5	9
राजस्थान	0	0	0	0	0	0	4	1	2
तमिलनाडु	134.29	26	2	6	29	1	54	9	1
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	11	2	1
पश्चिम बंगाल	0.935	1	1	90	15	20	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	45	11	13	0	0	0
ओडिशा	0	0	0	0	0	0	11	2	2
पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**169**	**70**	**11**	**302**	**101**	**51**	**373**	**56**	**77**

स्रोतः स्वापक नियंत्रण ब्यूरो